

Advertisement

National Green Tribunal has issued directions on 03.09.2013 in application no. 108 / 2013 National Green Tribunal Bar association V/s NCT of Delhi and others to prevent unauthorized and illegal use of ground water.

The Committee constituted by National Green Tribunal has decided that all the water tankers supplying water for potable / non potable purposes shall get themselves registered with Delhi Jal Board. All the owners of the water tanker vehicles are hereby directed to apply to Executive Engineer (Ground Water Cell / RWH) Room No. 11, Varunalaya Phase-I, Karol Bagh, New Delhi-110005 within 30 days of the publication of this notice in the format available on DJB website (www.delhijalboard.nic.in) along with the requisite documents duly attested and payment of registration fee of Rs. 1,000/- through Demand draft / cheque drawn in favour of Delhi Jal Board.

It may please be noted that Delhi Police and Transport Department will ensure that no water tanker without authorization / registration with DJB will be allowed to operate within NCT of Delhi after the stipulated period.

**PROFORMA FOR REGISTRATION OF CONTAINER MOUNTED WATER TANKERS
TO PLY IN DELHI.**

S.No.	Particulars	Details
1.	Vehicle Registration No.	
2.	Make, Model & chassis No.	
3.	Name and Address of the owner of the vehicle.	
4.	Contact No. of owner of tanker	1. Office 2. Residential 3. Mobile
5.	Details of capacity and Body material of the mounted water container	
6.	Address of the source of filling of water tanker	1. Residence 2. Office
7.	Details of GPS fixed in the vehicle	
8.	Details of deposit of Registration fee of Rs. 1,000/- (by Cheque or Demand Draft)	

UNDERTAKING

It is undertaken that:

1. I will fulfill all the conditions for plying of this vehicle in Delhi as stipulated by the Department of Transport, GNCTD.
2. I agree to install a GPS unit as approved by DJB in my vehicle at my own cost and will not have any objection to the monitoring of the movement of the vehicle. I will also be responsible for keeping the GPS functional at all times.
3. I will send the vehicle for inspection as and when ordered by the authorities at a notice of 48 hours.
4. Efficient fixtures will be installed in the vehicle to ensure that water does not spill / leak during movement.
5. I will fully abide by all the directions issued by DJB from time-to-time regarding operation of the water tankers in the city of Delhi.

Name and Signature of the Owner

Date:

Place:

विज्ञापन

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिनांक 03.09.2013 को आवेदन संख्या 108/2013 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली तथा अन्य को भूजल पानी के अनधिकृत और अवैध प्रयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किये हैं ।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति ने निर्णय लिया है कि वे सभी पानी के टैंकर जो पेयजल/गैर पेयजल की आपूर्ति करते हैं, स्वयं को दिल्ली जल बोर्ड से पंजीकृत करवाएँ ।

पानी के टैंकर वाहनों के सभी मालिकों को निदेशित किया जाता है कि वे अधिशासी अभियंता (भूजल विभाग/वर्षा जल संचयन) कमरा नं0 11, वरुणालय फेज- I, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, के पास, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट (www.delhijalboard.nic.in) पर उपलब्ध प्रारूप के साथ अपेक्षित दस्तावेज विधिवत अनुप्रमाणित व पंजीकरण शुल्क रूपये 1000/- का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के पक्ष में जमा करें ।

कृपया यह ध्यान रखा जाए कि दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना दिल्ली जल बोर्ड की अनुमति/पंजीकरण के कोई भी पानी का टैंकर, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में निर्धारित अवधि के बाद कार्य नहीं करेगा ।

दिल्ली में पानी के टैंकरों की गतिविधि के पंजीकरण के लिए प्रोफॉर्मा

क्रम संख्या	विवरण	सूचना
1.	वाहन पंजीकरण संख्या	
2.	वाहन बनावट, मॉडल एवं चैसस नं०	
3.	वाहन मालिक का नाम और पता	
4.	टैंकर मालिक की दूरभाष संख्या	1. कार्यालय 2. आवास 3. मोबाईल
5.	पानी के टैंकर की क्षमता और बॉडी मटिरियल का ब्यौरा	
6.	पानी टैंकर को भरने के स्रोत का पता	1. आवास 2. कार्यालय
7.	वाहन में स्थापित जी.पी.एस. का ब्यौरा	
8.	जमा पंजीकरण राशि रूपये 1000/- (चेक/डिमान्ड ड्राफ्ट) का ब्यौरा	

वचनबद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. मैं इस वाहन को चलाने में परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार की सभी शर्तों का पालन करूँगा ।
2. मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने वाहन में स्वयं के खर्च पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्वीकृत जी.पी.एस यूनिट स्थापित करूँगा और वाहन की गतिविधि की निगरानी पर कोई आपत्ति नहीं जताऊँगा । मैं स्वयं हर समय जी.पी.एस. को कार्यात्मक रखने के लिए जिम्मेदार रहूँगा ।
3. मैं अधिकारियों के आदेशानुसार वाहन को निरीक्षण हेतु सूचना मिलने के 48 घंटों के भीतर भेजूँगा ।
4. वाहन में कुशल फिक्सचर्स स्थापित किये जायेंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वाहन की गतिविधि के दौरान पानी का रिसाव/गिरना न हो ।
5. मैं दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय समय पर दिल्ली शहर में पानी के टैंकरों के संचालन के बारे में जारी निदेशों का पूरी तरह से पालन करूँगा ।

मालिक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :